

असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग ।।।—खण्ड 4

PART III—Section 4

#### प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 267] No. 267] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 6, 2017/आषाढ़ 15, 1939

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 6, 2017/ASADHA 15, 1939

#### भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण

## अधिसूचना

## नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2017

#### भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण

#### के साथ भाण्डागार के पंजीकरण हेतु आवश्यक प्रतिभूति जमा

- सं. डब्लूडीआरए/2017/1-1(1)/तकनीकी.—भाण्डागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खंड (ज) एवं (त) और भाण्डागारण (विकास और विनियमन) भाण्डागार पंजीकरण नियम, 2017 के नियम 19 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भाण्डागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (जिसे यहाँ इसके बाद प्राधिकरण कहा गया है) एतदद्वारा प्राधिकरण के साथ भाण्डागारों के पंजीकरण के लिए आवश्यक प्रतिभूति जमा हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अधिसूचित करता है:
- 1. भाण्डागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्लूडीआरए) के साथ भाण्डागार(रों) के पंजीकरण का अनुरोध करने वाले आवेदक भाण्डागार/भाण्डागार सेवा प्रदाता (डब्लूएसपी) द्वारा, पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए जाने से पूर्व प्राधिकरण को प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करनी होगी। इस संबंध में प्राधिकरण से सूचना जारी होने के 21 कार्य दिवस के भीतर प्रतिभृति जमा प्रस्तुत करनी होगी।
- 2. यदि आवेदक उपर्युक्तानुसार निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो, आवेदन को निरस्त माना जाएगा बशर्ते प्राधिकरण संतुष्ट हो जाए कि आवेदक द्वारा 21 कार्य दिवस की उक्त अवधि के भीतर प्रतिभूति जमा प्रस्तुत न करने हेतु पर्याप्त कारण मौजूद था | उस स्थिति में आवेदक को प्राधिकरण के निर्णयानुसार विस्तारित अवधि के भीतर प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करने की अनुमति होगी |
- 3. यदि आवेदक नीचे निर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करता है तो, प्राधिकरण भाण्डागारण (विकास और विनियमन) भाण्डागार पंजीकरण नियम, 2017 की चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट प्रारूप में 5 कार्य दिवस के भीतर आवेदक को भाण्डागार के संबंध में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।

4185 GI/2017 (1)

- 4. आवेदक या भाण्डागारपाल द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभृति जमा की राशि तथा तरीके का ब्यौरा निम्नवत है:
- (i) भाण्डागारपाल भाण्डागार के पंजीकरण की अवधि के दौरान प्राधिकरण द्वारा धारित प्रतिभूति जमा को बनाए रखेगा। प्रतिभूति जमा का मूल्य नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित कॉलम क, ख तथा ग की कुल राशि होगी (यहां भाण्डागारपाल के सभी पंजीकृत भाण्डागारों हेतु पिछली तिमाही में ज़ारी कुल परक्राम्य भाण्डागार रसीदों का उच्चतम मूल्य 'टी' के रूप में संदर्भित किया गया है):

स्लैब	क	ख	ग
'टी' 25 करोड़ रुपए या इससे कम है	0	'टी' मूल्य का 3 प्रतिशत	1 लाख रुपए प्रति भाण्डागार
'टी' 25 करोड़ रुपए से अधिक और	75 लाख रुपए	25 करोड़ रुपए से अधिक 'टी'	1 लाख रुपए प्रति भाण्डागार
250 करोड़ रुपए तक है		मूल्य का 1.5 प्रतिशत	
'टी' 250 करोड़ रुपए से अधिक और	4.125 करोड़ रुपए	250 करोड़ रुपए से अधिक	1 लाख रुपए प्रति भाण्डागार
2,500 करोड़ रुपए तक है		'टी' मूल्य  का 1 प्रतिशत	
'टी' 2,500 करोड़ रुपए से अधिक है	26.625 करोड़ रुपए	2,500 करोड़ रुपए से अधिक	1 लाख रुपए प्रति भाण्डागार
		'टी' मूल्य का 0.5 प्रतिशत	

- (ii) प्रतिभूति जमा प्रत्येक तिमाही के अंत में अद्यतन कर इसे प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा जिसकी प्राधिकरण द्वारा विधिवत पावती दी जाएगी।
- (iii) प्राधिकरण अपने विवेकानुसार भाण्डागारपाल द्वारा पहले से जमा प्रतिभूति को वर्तमान प्रतिभूति जमा के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित राशि के विरुद्ध समायोजित कर सकता है।
- (iv) जहां आवेदक/भाण्डागारपाल कोई किसान उत्पादक संगठन या कोई सहकारिता है, तो कुल प्रतिभूति जमा 50,000 रुपए (निर्धारित) प्रति भाण्डागार होगी।
- (v) प्रतिभूति जमा पंजीकरण की समाप्ति से 6 माह तक पहली अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार डब्लूडीआरए के पक्ष में बैंक सावधि जमा या बैंक गारंटी के रूप में होगी।
- (vi) प्राधिकरण संसद के किसी अधिनियम या किसी राज्य विधानसभा के अंतर्गत बनाए गए निकाय को दूसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रतिभूति जमा के रूप में अपेक्षित राशि हेतु एक क्षतिपूर्ति बंधपत्र उपलब्ध करवाने की अनुमति दे सकता है।
- (vii) प्राधिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुमित प्राप्त कोई निकाय पंजीकरण हेतु अपने आवेदन के साथ ऐसे क्षतिपूर्ति बंधपत्र को प्रस्तुत करने के लिए अपने निदेशक मंडल से एक संकल्प प्रस्तुत करेगा।
- (viii) प्रतिभूति जमा को भाण्डागार के पंजीकरण की समाप्ति, निरस्तीकरण अथवा अभ्यर्पण के पश्चात 6 माह तक अथवा प्रतिभूति जमा के प्रति प्रत्येक दावे की संतुष्टि होने तक, जो भी बाद में हों, जारी नहीं किया जाएगा।
- (ix) प्राधिकरण किसी भण्डागार की प्रतिभूति जमा वापस करेगा, यदि:
  - क. भाण्डागार के पंजीकरण के नवीकरण हेतु किसी आवेदन को निरस्त कर दिया गया है और यदि प्राधिकरण इससे संतुष्ट है कि भाण्डागारपाल ने अपने दायित्वों को इन नियमों के अनुसार निष्पादित किया है;
  - ख. कोई भाण्डागारपाल अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण करता है और प्राधिकरण ऐसे अभ्यर्पण को स्वीकार कर लेता है: अथवा
  - ग. किसी भाण्डागार के पंजीकरण के प्रमाणपत्र को निरस्त कर दिया गया है और प्राधिकरण इससे संतुष्ट है कि भाण्डागारपाल ने अपने दायित्वों का निर्वहन इन नियमों के अनुसार किया है।
- (x) उपर्युक्त (1) तथा (2) में निर्दिष्ट किए अनुसार प्रतिभूति जमा के ऐसे किसी संशोधन के बावजूद, यदि कोई है, भाण्डागारपाल उन्हें जारी परक्राम्य भाण्डागार रसीदों की वैध अवधि में जमाकर्ताओं को देय प्रभारों में वृद्धि नहीं करेगा।

## प्रथम अनुसूची

## (भाण्डागारपाल द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूति जमा हेतु बैंक गारंटी का प्रारूप)

( and a state of the state of t
निदेशक (प्रशासन एवं वित्त)
भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्लूडीआरए)
एनसीयूआई भवन (चौथा तल),
3, सीरी इन्स्टीटयूशनल एरिया,
अगस्त क्रांति मार्ग,
हौज खास, नई दिल्ली - 110016
(यथा लागू स्टाम्प शुल्क के साथ)
हमारा गारंटी पत्र सं
1. भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण, जिसका कार्यालय एनसीयूआई परिसर (चौथा तल), 3, इन्स्टीटयूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास, दिल्ली - 110016 (भारत) (जिसे इसके बाद यहाँ " डब्लूडीआरए" कहा गया है, जब तक संदश्या अर्थ के विपरीत न हो इसके सभी उत्तराधिकारी, प्रशासक और निष्पादक शामिल होंगे) में अवस्थित है और जिसने मैसस्यास्त्र से संबन्धित भाण्डागारों (इस अनुसूची के साथ संलग्न सूची के अनुसार) के पंजीकरण प्रदान करने पर विचार किया है / प्रदान किया है (जिसे इसके बाद यहाँ "भाण्डागारपाल" कहा गया है, जब तक संदर्भ या अर्थ के विपरीत न हो इसके सर्भ उत्तराधिकारी, प्रशासक और निष्पादक शामिल होंगे)।  2. जबिक भाण्डागारपाल भाण्डागारण (विकास और विनियमन) भाण्डागार पंजीकरण नियम, 2017 (जिसे इसके बाद यह नियम कहा गया है) में दिए गए निबंधन एवं शर्तों के अनुसार भाण्डागार व्यवसाय के संचालन को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है और इब्लूडीआरए के साथ पूर्ण पंजीकरण के विश्वसनीय निष्पादन हेतु
3. हमविलंब के डब्लूडीआरए के यह कहते हुए मांग किए जाने पर कि दावा की गई राशि नियमों तथा अधिसूचना में समाविष्ठ को बिना किसी विलंब के डब्लूडीआरए के यह कहते हुए मांग किए जाने पर कि दावा की गई राशि नियमों तथा अधिसूचना में समाविष्ठ निबंधन एवं शर्तों में से किसी शर्त के भाण्डागारपाल द्वारा किए गए उल्लंघन के चलते परक्राम्य भाण्डागार रसीद के धारक को होने वार्ल हानि या क्षति के कारण है, उसे अदा करने का वचन देते हैं। इस गारंटी के अंतर्गत बैंक को की गई ऐसी कोई भी मांग बैंक द्वारा देय तथ भुगतान योग्य किसी राशि के संबंध में निर्णायक होगी। तथापि, इस गारंटी के अंतर्गत हमारी देयता रूपए की राशि से अधिक की नहीं होगी।
4. हम डब्लूडीआरए को इस प्रकार मांग की गई कोई भी राशि अदा करने का वचन देते हैं, बावजूद इसके कि भाण्डागारपाल ने किसी न्यायालय अथवा अभिकरण के समक्ष तत्संबंधी किसी वाद या कार्यवाही में किसी विवाद अथवा विवादों को उठाया हुआ है, इसवे अंतर्गत हमारी देयता पूर्ण तथा स्पष्ट है। इस बंधपत्र के अंतर्गत हमारे द्वारा किया गया भुगतान अथवा तत्संबंधी भुगतान हेतु देयता वे लिए एक वैध निर्वहन होगा और ऐसा भुगतान करने पर भाण्डागारपाल का हमारे प्रति कोई दावा नहीं होगा।

5. हम ......(बैंक का नाम) आगे इसके लिए भी सहमत होते हैं कि डब्लूडीआरए के पास हमारी सहमति के बिना और इसके अंतर्गत हमारे दायित्वों को किसी तरीके से प्रभावित किए बिना उक्त अनुबंध के किसी निबंधन एवं शर्त को बदलने या समय-समय पर भाण्डागारपाल द्वारा निष्पादन के समय में विस्तार करने अथवा समय-समय पर डब्लुडीआरए द्वारा भाण्डागारपाल के विरूद्ध की जाने वाली शक्तियों के प्रयोग को स्थगित करने और उक्त समझौते से संबंधित

निबंधन एवं शर्तों को रोकने या लागू करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी और हम उक्त अनुबंध से संबंधित निबंधन एवं शर्तों के अंतर्गत अपनी

देयता से मुक्त नहीं होंगे तथा हम डब्लूडीआरए की ओर से भाण्डागारपाल को प्रदान किए गए ऐसे किसी अंतर, या विस्तार अथवा डब्लूडीआरए की ओर से कोई रोक, कृत्य या चूक अथवा भाण्डागारपाल के साथ डब्लूडीआरए के किसी कृत्य में शामिल होने अथवा किसी भी अन्य मामले या घटना से, जिसके अंतर्गत जमानत देने वालों से संबंधित कानूनों का प्रभाव हमें मुक्त करेगा, बशर्ते यह प्रावधान न हो।
6. यह गारंटी बैंक या भाण्डागारपाल के गठन में परिवर्तन के कारण निरस्त नहीं होगी।
7. हम(बैंक का नाम) अंततः इस गारंटी को डब्लूडीआरए की पूर्व स्वीकृति लिखित में प्राप्त होने तक वापिस न लेने का वचन देते हैं।
8. यहां कुछ भी समाविष्ट होते हुए भी :-
i) इस बैंक गारंटी के अंतर्गत हमारी देयता (रुपए मात्र) है।
ii) यह बैंक गारंटीतक वैध है और
iii) हम इस बैंक गारंटी के अंतर्गत किसी गारंटीशुदा राशि या उसके किसी अंश का भुगतान केवल तब तक करने का दायित्व रखते हैं जब तक डब्लूडीआरए हमें(गारंटी की समाप्ति की तिथि) को या उससे पूर्व लिखित में दावा या मांग भेजे।
दिनांक माह 20
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/प्रबंधक का नाम
कृते ( <b>बैंक का नाम</b> )
शाखा
बैंक की मुहर

## द्वितीय अनुसूची

## क्षतिपूर्ति बंधपत्र

इ	स क्षति	पूर्ति बंध	ग्पत्र को			20 व	ने			(	संसद या	राज्य विधारि	ोका के	किसी
अधिनियम	के अंत	र्गत बनार	या गया	कोई निक	ाय, जिसे	एतदपश्चा	त "निका	य" कहा	गया है,	द्वारा भ	ाण्डागारण	विकास एव	ां विनि	यामक
प्राधिकरण	(डब्लूर्ड	आरए),	जिसे ए	तदपश्चात	"प्राधिकरण	ग " कहा ः	गया है, के	पक्ष में वि	वेलेख द्व	ारा निष्ण	गादित किय	ा गया है।		

जबकि :

क) भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्लूडीआरए) की स्थापना भाण्डागार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (अधिनियम, 2007) के अंतर्गत भाण्डागारों के विकास, भाण्डागार रसीदों के परक्राम्य के विनियमन और भाण्डागार व्यवसाय की व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने के लिए अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के कार्यान्वयन को विनियमित करने तथा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। परक्राम्य रसीदों को जारी करके किसी भाण्डगार के रखरखाव के व्यवसाय को प्रारंभ करने या जारी रखने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को पंजीकृत होना अपेक्षित होता है और इस प्रयोजन हेतु "अधिनियम, 2007 " के अंतर्गत डब्लूडीआरए (प्राधिकरण) को आवेदन दिया जाना होता है।

- ख) अपने भाण्डागार का पंजीकरण करवाने के इच्छुक प्रत्येक आवेदक/भाण्डागार सेवा प्रदाता (डब्ल्यूएसपी) से प्राधिकरण से सुचना प्राप्त होने के 21 दिवस के भीतर प्राधिकरण को प्रतिभृति जमा प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।
- ग) भाण्डागारपाल द्वारा प्रतिभूति जमा (डब्लूडीआरए के पक्ष में बैंक गारंटी के रूप में) के रूप में जमा करवाई जाने और पंजीकरण की अवधि के दौरान बनाए रखी जाने तथा प्रत्येक तिमाही कें अंत में अद्यतन की जाने वाली राशि निम्नवत हैं -

स्लैब	क	ख	ग
'टी' 25 करोड़ रुपए या इससे कम है	0	'टी' मूल्य का 3 प्रतिशत	1 लाख रुपए प्रति भाण्डागार
'टी' 25 करोड़ रुपए से अधिक और	75 लाख रुपए	25 करोड़ रुपए से अधिक 'टी'	1 लाख रुपए प्रति भाण्डागार
250 करोड़ रुपए तक है		मूल्य का 1.5 प्रतिशत	
'टी' 250 करोड़ रुपए से अधिक और	4.125 करोड़ रुपए	250 करोड़ रुपए से अधिक	1 लाख रुपए प्रति भाण्डागार
2,500 करोड़ रुपए तक है		'टी' मूल्य का 1 प्रतिशत	
'टी' 2,500 करोड़ रुपए से अधिक है	26.625 करोड़ रुपए	2,500 करोड़ रुपए से अधिक	1 लाख रुपए प्रति भाण्डागार
		'टी' मूल्य का 0.5 प्रतिशत	

टिप्पणी : यहां भाण्डागारपाल के सभी पंजीकृत भाण्डागारों हेतु पिछली तिमाही में ज़ारी कुल परक्राम्य भाण्डागार रसीदों का उच्चतम मुल्य "टी" के रूप में संदर्भित किया गया है।

- घ) प्राधिकरण अपने विवेकानुसार भाण्डागारपाल द्वारा पहले से जमा प्रतिभूति को वर्तमान प्रतिभूति जमा के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित राशि के विरुद्ध समायोजित कर सकता है। प्रतिभूति जमा को भाण्डागार के पंजीकरण की समाप्ति, निरस्तीकरण अथवा अभ्यर्पण के 6 माह बाद तक अथवा प्रत्येक दावे की संतुष्टि तक, जो भी बाद में हों, जारी नहीं किया जाएगा। प्राधिकरण के पास प्रतिभूति जमा की राशि को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है।
- ङ) चूंकि प्राधिकरण संसद के किसी अधिनियम या किसी राज्य विधानसभा के अंतर्गत बनाए गए निकाय को जो भाण्डागार के रखरखाव और परक्राम्य भाण्डागार रसीद को जारी करने का व्यवसाय कर रहा है, प्रतिभूति जमा के रूप में अपेक्षित राशि हेतु एक क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है और प्राधिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुमेय किया गया ऐसा कोई निकाय पंजीकरण हेतु अपने आवेदन के साथ ऐसे क्षतिपूर्ति बंधपत्र को प्रस्तुत करने के लिए अपने निदेशक मंडल का एक संकल्प प्रस्तुत करेगा।

अतः अब \_\_\_\_\_\_ अधिनियम के तहत स्थापित मैसर्स \_\_\_\_\_ (निकाय का नाम), इस क्षतिपूर्ति बंधपत्र की नीचे दी गई शर्तों के अनुसार उक्त पैरा "ग" के अंतर्गत विहित सीमाओं की सीमा तक की राशि, चाहे कुछ भी हो, हेतु हर समय प्राधिकरण अर्थात डब्ल्यूडीआरए को सभी कारवाई, वाद, कार्यवाही, लेखे, दावे तथा मांग, जो कोई भी हो, के प्रति बचाने, बचाव करने तथा क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत होता है तथा इसके लिए वचन देता है कि:-

- 1) प्राधिकरण के नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत उसकी ओर से निष्पादित की जाने वाली सभी बाध्यताओं का अनुपालन करेगा।
- 2) पंजीकरण की समाप्ति, निरस्तीकरण अथवा अभ्यर्पण के पश्चात 6 माह तक अथवा प्रतिभूति जमा के प्रति प्रत्येक दावे की संतुष्टि होने तक, जो भी बाद में हों, प्राधिकरण को क्षतिपूर्ति करने (उक्त पैरा "ग" में तालिका में उल्लिखित राशि हेतु) का वचन देता है।
- 3) किसी भाण्डागार के संबंध में क्षतिपूर्ति बंधपत्र के अंतर्गत अपने दायित्वों से मुक्त तब माना जाएगा, यदि -
  - क. भाण्डागार के पंजीकरण के नवीकरण हेतु किसी आवेदन को निरस्त कर दिया गया है और यदि प्राधिकरण इससे संतुष्ट है कि भाण्डागारपाल ने अपनी दायित्वों को इन नियमों के अनुसार निष्पादित किया है;

- ख. यदि भाण्डागारपाल अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण करता है और प्राधिकरण ऐसे अभ्यर्पण को स्वीकार कर लेता है; अथवा
- ग. यदि किसी भाण्डागार के पंजीकरण के प्रमाणपत्र को निरस्त कर दिया गया है और प्राधिकरण इससे संतुष्ट है कि भाण्डागारपाल ने अपने दायित्वों का निर्वहन इन नियमों के अनुसार किया है।
- 4) निकाय, परक्राम्य भाण्डागार रसीद की अवधि के भीतर जमाकर्ताओं द्वारा देय दरों में वृद्धि न करने का वचन देता है।

निकाय एतद्वारा सहमत है कि प्राधिकरण को होने वाली हानि/ क्षति (उक्त पैरा "ग" की सीमा तक) की उसके द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी।

निम्नांकित के साक्ष्यांकन में इस क्षतिपूर्ति बंधपत्र को दिनांक ...... 20... को निष्पादित किया गया।

निष्पादक

नाम पद संगठन

साक्षियों की उपस्थिति में -

1)

2)

गणेश अ. बाकडे , निदेशक (प्रशासन एवं वित्त) [विज्ञापन-III/4/असा. /137/17]

# WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2017

Requirement of Security Deposit for registration of warehouse (s) with the Warehousing Development and Regulatory Authority

**No. WDRA/2017/1-1(1)/Tech.**—In exercise of the powers conferred by clauses (h) and (p) of sub-section (2) of section 35 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (37 of 2007) and sub rule (1) of rule 19 of the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2017, the Warehousing Development and Regulatory Authority (hereinafter referred as the Authority), hereby notifies the following procedure for requirement of Security Deposit for registration of warehouses with the Authority:

- 1. The applicant warehouse/ Warehouse Service Provider (WSP) seeking registration of their warehouse(s) with the Warehousing Development and Regulatory Authority (WDRA) shall submit a Security Deposit to the Authority before issue of a registration certificate. The Security Deposit shall be required to be submitted within 21 working days after issue of a communication by the Authority to this effect.
- 2. If the applicant fails to submit the Security Deposit within the period specified as above, the application shall be deemed to have been rejected, provided that the Authority may, if it is satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from submitting the security deposit within the said period of twenty-one working days, allow it to submit the security deposit within such extended time as may be decided by the Authority.

- 3. If the applicant submits the Security Deposit in the form and manner specified below, the Authority shall issue a certificate of registration to the applicant in respect of the warehouse to the applicant within five working days in the form specified in the Fourth Schedule of the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2017.
- 4. Details of the amount and manner of Security Deposit to be furnished by the applicant or the warehouseman are given as under:
- i. The warehouseman shall maintain a Security Deposit to be held by the Authority during period of registration of the warehouse. Value of the Security Deposit shall be a sum total of columns A, B & C mentioned in the table given below (here the highest value of total outstanding negotiable warehouse receipts over the preceding quarter for all the registered warehouses of the warehouseman is referred as T):

Slab	A	В	С
T is less than or equal to Rs.25 crore	0	3% of T	Rs. 1 lakh per warehouse
T is above Rs.25 crore and up to 250 crore	Rs. 75 lakh	1.5% of excess of T over Rs. 25 crore	Rs. 1 lakh per warehouse
T is above Rs.250 crore and up to 2,500 crore	Rs. 4.125 crore	1% of excess of T over Rs. 250 crore	Rs. 1 lakh per warehouse
T is above Rs.2,500 crore	Rs. 26.625 crore	0.5% of excess of T over Rs. 2500 crore	Rs. 1 lakh per warehouse

- ii. The Security Deposit shall be updated at the end of each quarter and submitted to the Authority which shall be duly acknowledged.
- iii. The Authority may, at its discretion, adjust the Security Deposit already furnished by the warehouseman against the amount required to be furnished as Security Deposit.
- iv. Where the applicant/ warehouseman is a Farmer Producer Organisation or a Co-operative, the total Security Deposit would be Rs. 50,000 (fixed) per warehouse.
- v. The Security Deposit shall be in the form of Bank Fixed Deposits or in form of Bank Guarantee, favouring WDRA as per the format given in First Schedule for a period of six months beyond the expiry of Registration.
- vi. The Authority may allow any entity created under an Act of Parliament or of State legislature to provide, an Indemnity Bond for the amount required as Security Deposit, as per format given in the Second Schedule.
- vii. An entity allowed by the Authority to submit an Indemnity Bond shall submit, along with its application for registration, a resolution from its Board of Directors authorising to furnish of such Indemnity Bond.
- viii. The Security Deposit shall not be released until six months after expiry, cancellation or surrender of the registration of the warehouse or until after satisfaction of every claim against the Security Deposit, whichever is later.
- ix. The Authority shall refund the security deposit in respect of a warehouse, if
  - a. an application for renewal of registration of the warehouse has been rejected and if the Authority is satisfied that the warehouseman has discharged his obligations as per the requirements of these rules;
  - b. a warehouseman surrenders his certificate of registration, and the Authority accepts such surrender; or
  - c. the certificate of registration of a warehouse is cancelled, and the Authority is satisfied that the warehouseman has discharged his obligations as per the requirements of these rules.

x. Notwithstanding such revision of the Security Deposit as specified at (i) & (ii) above, if any, the warehouseman shall not increase the charges payable by the depositors within the period validity of negotiable warehouse receipts issued to them.

#### The First Schedule

#### (Format for Bank Guarantee for Security Deposit Payment to be submitted by Warehouseman)

Director (Administration & Finance)
Warehousing Development and Regulatory Authority (WDRA)
NCUI Building (4th Floor),
3, Siri Institutional Area,
August Kranti Marg,
Hauz Khas, New Delhi – 110016
(With due stamp duty as applicable)
OUR LETTER OF GUARANTEE No.:
1. In consideration of Warehousing Development and Regulatory Authority, having its office at NCUI Complex (4th Floor), 3, Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, Delhi – 110016 (INDIA) (hereinafter referred to as "WDRA" which expression shall unless repugnant to the content or meaning thereof include all its successors, administrators and executors) and having considered granting/ granted registration of the warehouses (as per list annexed with this schedule) belonging to M/s (hereinafter referred to as "The Warehouseman" which expression unless repugnant to the content or meaning thereof, shall include all the successors, administrators, and executors).
2. WHEREAS the Warehouseman having unequivocally accepted to conduct business of warehousing as per terms and conditions given in the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2017 (hereinafter referred as the Rules) and having agreed to furnish to WDRA a Security Deposit in the form of a Bank Guarantee for Rs (Rupees
3. We
4. We undertake to pay to the WDRA any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the warehouseman in any suit or proceeding pending before any court or Tribunal relating thereto, our liability under this

present being absolute and unequivocal. The payment so made by us under this bond shall be a valid discharge or our

liability for payment thereunder and the warehouseman shall have no claim against us for making such payment.

5. We	(Name of the Bank) further agree that the WDRA shall
have the fullest liberty without our consent and without a	affecting in any manner our obligations hereunder to vary any
time or to postpone for any time or from time to time warehouseman and to forbear or enforce any of the term	e any of the powers exercisable by the WDRA against the as and conditions relating to the said Agreement and we shall not be relieved
forbearance, act or omission on the part of the WDRA or	extension being granted to the warehouseman or for any any indulgence by the WDRA to the warehouseman or by any ting to sureties would, but for this provision, have effect of so
6. This guarantee will not be discharged due to the chang	e in the constitution of the Bank or the warehouseman
7. We,	(Name of the Bank) lastly undertake not to revoke
this guarantee during its currency except with the previous	s consent of the WDRA in writing.
8. Notwithstanding anything contained herein:-	
i) Our liability under this Bank Guarantee shall not ex	xceed Rs (Rupees only)
ii) This Bank Guarantee shall be valid upto	and
	by part thereof under this Bank Guarantee only and only if the lon or before (Date of expiry
Dated the day of	
Name of Authorized Signatory/ Manager	
For (Name of the Bank)	
Branch	
Seal of the bank	
The Seco	ond Schedule
INDEMI	NITY BOND
	he day of 201 by d under the Act of the Parliament or of the State Legislative) sing Development and Regulatory Authority (WDRA) here in
WHEREAS:	
	ry Authority (hereinafter referred as Authority) is established

a) The Warehousing Development and Regulatory Authority (hereinafter referred as Authority) is established under the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (Act, 2007) with the objective to regulate and ensure implementation of the provisions of Act, 2007 for development of warehouses, regulations of negotiability of Warehouse Receipts and promote orderly growth of warehousing business. Every person desirous of commencing or carrying business of maintaining a warehouse issuing negotiable warehouse receipts is required to be registered and for that purpose an application has to be made to the Authority under the Act, 2007.

- b) Every applicant warehouse/Warehouse Service Provider (WSP) seeking registration of their warehouse shall be required to submit security deposit to the Authority within 21 days of the communication by the Authority.
- c) The value of security deposit (in the form of bank guarantee in favour of Warehousing Development and Regulatory Authority) to be deposited by warehouseman and to be maintained during the period of registration and to be updated at the end of each quarter is as follows: -

Slab	A	В	С
T is less than or equal to Rs.25 crore.	0	3% of T.	Rs.1 lakh per warehouse.
T is above Rs.25 crore and upto Rs.250 crore.	Rs.75 lakh.	1.5% of excess of T over Rs.25 crore.	Rs.1 lakh per warehouse.
T is above Rs.250 crore and upto Rs.2,500 crore.	Rs.4.125 crore.	1% of excess of T over Rs.250 crore.	Rs.1 lakh per warehouse.
T is above Rs.2,500 crore.	Rs.26.625 crore.	0.5% of excess of T over Rs.2,500 crore.	Rs.1 lakh per warehouse.

Note: - Here 'T' is referred in the above Table as highest value of total outstanding negotiable warehouse receipts in over the preceding quarter for all the warehouses registered by the warehouseman.

- d) The Authority may at its discretion, adjust the security deposit already furnished by warehouseman against the amount required as security deposit. The security deposit shall not be released until six months after cancellation, rejection or surrender of the registration of the warehouse or until after satisfaction of every claim against security deposit whichever is later. The Authority reserves its rights to revise the amount of security deposit.
- e) As the Authority may allow any entity created under an Act of the Parliament or State Legislative and carrying business of maintaining warehouse (s) and issuing Negotiable Warehouse Receipt, to submit Indemnity Bond in lieu of security deposit and the Entity allowed by the Authority to submit an Indemnity Bond shall submit, along with its application for registration, a resolution from its Board of Directors authorising the furnishing of such Indemnity Bond.

- 1) M/s ......(name of the entity) shall comply with all the obligations to be performed on their part under the Authority's rules and regulations.
- 2) M/s ......(name of the entity) undertakes to keep the Authority indemnified for an amount to be worked out as per the Table in Para 'c' above until six months, after cancellation, rejection or surrender of registration or until after satisfaction of every claim whichever is later.
- 3) M/s ......(name of the entity) shall be discharged of its obligation under Indemnity Bond in respect of a warehouse, if:
  - a) An application for renewal of registration of the warehouse has been rejected and if the Authority is satisfied that the warehouseman has discharged his obligations as per the requirements of these rules;
  - b) A warehouseman surrenders his certificate of registration, and the Authority accepts such surrender; or
  - c) The certificate of registration of a warehouse is cancelled, and the Authority is satisfied that the warehouseman has discharged his obligations as per the requirements of these rules.
- 4) M/s. ......(name of the entity) undertakes not to increase the charges payable by depositors within the period of Negotiable Warehouse Receipts issued to them.

[भाग Ⅲ—खण्ड 4]	भारत का राजपत्र : असाधारण	11_

suffered by the Authority (to the extent of Para M/s	'c' above), the same shall l	•
In witness whereof signed this Indemnity Bond is executed	on this day of	201 .
		EXECUTOR
	NAME:	
	DESIGNATION:	
	ORGANISATION:	
	(With Seal)	
In the presence of witnesses: -		
1)		
2)		
	GANESH A. BAKADE, Direc	ctor (Admn. & Fin.)
	[ADVT.	III/4/Exty./137/17]